74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1013—तीन/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 2—06—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 52/अपील/2009—10.

.....

श्रीमती आशादेवी पत्नी हवलदार सिंह ठाकुर
निवासी पुरानी चुंगी नाका रोड
गोपालपुरा तहसील व जिला
मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1— दिनेश सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
निवासी पुरानी चुंगी नाका रोड
गोपालपुरा तहसील व जिला
मुरैना म0प्र0
2— म0 प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम0 पी0 भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.1.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 2—06—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलद मुरैना के ग्राम जौरी में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 770/2 रकवा 12 वाई 75 यानि 900 वर्गफीट जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी रामदीन एवं चकपान पुत्र मोहन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम निरगपुरा थे। विवादित भूमि का विकय अनावेदक` हक में दिनांक 15.5.98 को करदेने के आधार पर अनावेदक दिनेश सिंह द्वारा विवादित भूमि पर विकय पत्र के आधार पर मोजा पटवारी को नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत कियागया। आवेदिका आशादेवी द्वारा उक्त नामांतरण में अपत्ति पेश की गई । नामांतरण विवादित हो जाने के कारण पटवारी मौजा द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय में भेजा विचारण न्यायालय द्वारा प्रगंकरण कमांक 30/अ–6/06–07 पर दर्ज किया जाकर विधिवत इश्तहार जारी किया गया। दोनों पक्षो के तर्क सुनने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.07 से अनावेदक दिनेश सिंह द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक आशादेवी पत्नी हवलदार सिंह का नामांतरण विवादित भूमि पर पूर्व में किया जा चुका हैं जिसका अमल पटवारी अभिलेख में भी किया जा चुका हैं चूंकि एक बार नामांतरण आदेश पारित होने से पुनः नामांतरण आदेश किया जाना संभव नहीं है। अनावेदक दिनेश सिंह द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.07 से परिवेदित होकर प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 31.8.09 से आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है। इससे दुखित होकर दिनेश सिंह द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 2.6.11 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय से पत्रिकाओं का परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में एक ही बिन्दु का निराकरण होना है कि नामांतरण की कार्यवाही को पुनः खोला जा सकता है अथवा नहीं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हे कि आवेदक द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक चकपान के वारिसान ने विधि प्रावधानों के विपरीत विचारण

न्यायालय में नामांतरण कराकर विवादित प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किया गया । मृतक चकपान के स्थान पर वारिसानों द्वारा करायाा गया नामांतरण आदेश एवं आवेदक श्रीमती आशा देवी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर कराया गया नामांतरण आदेश तथा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित विचारधीन आदेश दिनांक 31.8.09 विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा सभी आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिया गया है कि प्रकरण में हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 2.6.11 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 52/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 2.6.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर